



2026:AHC:171582

सुरक्षित

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद
आपराधिक अपील संख्या - 3148/1982

रघुराज सिंह व अन्य

.....अपीलार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

अपीलार्थी(गण) के अधिवक्ता : अमर सरन, डी. स्वरूप, इंद्र कुमार सिंह, आर.पी. सिंह,
संजीव कुमार पांडेय
प्रत्यर्थी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 88

माननीय न्यायमूर्ति संजीव कुमार

1. यह आपराधिक अपील, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'दं.प्र.सं.')

की धारा 374(2) के अंतर्गत, अपीलार्थीगण, रघुराज सिंह, अमर पाल सिंह, मोहर पाल सिंह, बृज पाल सिंह और राम पाल सिंह द्वारा, श्री सांवल सिंह, तत्कालीन तृतीय अपर सत्र न्यायाधीश, एटा द्वारा सत्र विचारण संख्या 385/1982 में, जो अपराध संख्या 79/1982, धारा 148, 307 भारतीय दंड संहिता, 1860 (संक्षेप में भा.द.सं.), थाना सिद्धपुरा, जनपद एटा से उद्भूत हुआ है, पारित दिनांक 04.12.1982 के आक्षेपित निर्णय और आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. आक्षेपित निर्णय और आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थीगण को धारा 148 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए दोषसिद्ध किया और उन्हें एक वर्ष के कठोर कारावास से दंडादिष्ट किया तथा धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए, उन्हें सात वर्ष के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा ।



कठोर कारावास भुगतने का निर्देश दिया गया। यह भी निर्देशित किया गया कि दोनों दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे।

3. इस अपील की लंबितता के दौरान, अपीलार्थी संख्या 1 से 4, अर्थात्, रघुराज सिंह, अमर पाल सिंह, मोहर पाल सिंह, बृज पाल सिंह, का निधन हो गया है और इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 06.01.2026 के आदेश द्वारा यह अपील उनके विरुद्ध उपशमित हो गई है। अब, यह अपील केवल अपीलार्थी संख्या 5, राम पाल सिंह की ओर से जीवित है।

4. वाद के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि कप्तान सिंह, निवासी मोड़दीपुर, थाना सिद्धपुरा, जनपद एटा, ने प्रभारी, थाना सिद्धपुरा के समक्ष एक लिखित प्रार्थना-पत्र (तहरीर) (प्रदर्श क-1) प्रस्तुत किया, जिसमें यह कथन किया गया कि घटना से एक दिन पूर्व, प्रथम सूचनाकर्ता और झब्बू सिंह धारा 107/116 दं.प्र.सं. के अंतर्गत एक कार्यवाही में जमानत प्राप्त करने के पश्चात घर लौटे थे। आगे यह कथन किया गया कि आज, अर्थात् 10.07.1982 को लगभग प्रातः 05:30 बजे, प्रथम सूचनाकर्ता और झब्बू सिंह गांव के दक्षिण-पश्चिम में स्थित एक नदी के निकट शौच हेतु गए थे। अतर सिंह, नेत्रपाल सिंह, विश्वनाथ और शेर सिंह भी शौच हेतु आए थे। तब उसके सहग्रामवासी/अपीलार्थीगण, रघुराज सिंह, अमर पाल सिंह और जय नारायण अवैध बंदूकें लिए हुए तथा मोहर पाल, बृज पाल और राम पाल सिंह तमंचे लिए हुए वहां आए और झब्बू सिंह को उकसाया कि वह आज नहीं बचेगा और उस पर गोली चला दी। झब्बू सिंह ने शोर मचाया, जिस पर प्रथम सूचनाकर्ता और अन्य घटनास्थल की ओर दौड़े। कुछ सहग्रामवासी भी घटनास्थल पर पहुंचे, जिस पर अभियुक्तगण पश्चिम की ओर भाग गए। झब्बू सिंह को उसके कंधे और शरीर के अन्य भागों पर चोटें आईं, जिसे वे एक वाहन में थाने ले आए।

5. इस सूचना पर, अपराध संख्या 79/1982 के अंतर्गत, धारा 147, 148, 149, 307 भा.द.सं. के अंतर्गत, दिनांक 10.07.1982 को प्रातः 06:30 बजे एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई। वाद की विवेचना उप निरीक्षक बीरेंद्र प्रताप सिंह (पी.डब्ल्यू.3) को सौंपी गई। विवेचना अधिकारी ने विवेचना की और प्रथम सूचनाकर्ता, घायल और अन्य साक्षियों के कथन अभिलिखित किए। उसने घटनास्थल का निरीक्षण किया और उसका स्थल का नक्शा-नज़री तैयार किया। विवेचना अधिकारी ने घायल के रक्त-रंजित वस्त्र एकत्र किए और उसका बरामदगी फ़र्द (प्रदर्श क-4) तैयार किया। उसने घटनास्थल से 12 बोर के दो कारतूस भी एकत्र किए और उसका बरामदगी फ़र्द (प्रदर्श क-8) तैयार किया। घायल झब्बू सिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया गया। विवेचना के पश्चात, संबंधित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मजिस्ट्रेट के समक्ष सभी पांच नामित अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 307 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसने मामले का संज्ञान लिया और अपीलार्थीगण को समन किया। अपीलार्थीगण उसके समक्ष उपस्थित हुए और उन्हें धारा 207 दं.प्र.सं. के अंतर्गत संगत अभियोजन पत्रावली की प्रतियां प्रदान की गईं। तत्पश्चात, वाद विचारण हेतु सत्र न्यायालय को सुपुर्द किया गया। अपीलार्थीगण सत्र न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुए, जहां उनके विरुद्ध धारा 148, 307 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए, जिसे उन्होंने अस्वीकार किया और विचारण किए जाने का दावा किया।

6. अभियोजन ने अपना वाद सिद्ध करने हेतु सात साक्षियों की परीक्षा की, अर्थात्, कप्तान सिंह, प्रथम सूचनाकर्ता (पी.डबल्यू.1); हेड आरक्षी महावीर सिंह (पी.डबल्यू.2); बीरेंद्र प्रताप सिंह, विवेचना अधिकारी (पी.डबल्यू.3); डॉ. वी.के. शर्मा (पी.डबल्यू.4); डॉ. दया शंकर (पी.डबल्यू.5); झब्बू सिंह, घायल (पी.डबल्यू.6) और शेर सिंह (पी.डबल्यू.7)।

7. न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने स्वयं भी घटनास्थल का निरीक्षण किया और अपनी दिनांक 30.11.1982 की निरीक्षण आख्या तैयार की।

8. पी.डबल्यू.1, कप्तान सिंह, वाद का प्रथम सूचनाकर्ता है और अभिकथित घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उसने अभियोजन के वाद का समर्थन किया है और कथन किया है कि घटना के समय, वह घायल झब्बू सिंह और अन्य सहग्रामवासियों के साथ, अपने गांव के दक्षिण-पश्चिम में स्थित नदी के निकट शौच हेतु गया था। तब सभी पांच अपीलार्थी वहां आए, जिनमें से तीन बंदूकों से सुसज्जित थे जबकि तीन तमंचों से सुसज्जित थे। उसने आगे साक्ष्य दिया कि उन्होंने झब्बू सिंह को उकसाया और उस पर गोली चलाई, जिसके परिणामस्वरूप, उसे चोटें आईं। तत्पश्चात, अपीलार्थीगण भाग गए। उसने लिखित सूचना कृष्ण पाल नामक व्यक्ति से लिखवाई और उस पर अपना अंगूठा निशान लगाया। साक्षी ने लिखित सूचना को प्रदर्श क-1 के रूप में सिद्ध किया और कहा कि तत्पश्चात, झब्बू सिंह को चिकित्सीय परीक्षण हेतु एटा भेजा गया।

9. पी.डबल्यू.2, हेड आरक्षी महावीर सिंह, एक औपचारिक साक्षी है, जिसने चिक-एफ.आई.आर. (प्रदर्श क-2) लिखी और दिनांक 10.07.1982 को प्रातः 06:30 बजे इसकी जी.डी. संख्या 5 में प्रविष्टि की। उसने जी.डी. की प्रति को प्रदर्श क-3 के रूप में सिद्ध किया और कहा कि उसने झब्बू सिंह की चोटें देखी थीं और उन्हें जी.डी. में अंकित किया था। उसने यह भी कहा कि झब्बू सिंह जो बनियान, अंगोछा और तहमद घटना के समय पहने हुए था, उन पर छर्रों के रक्त-रंजित

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



निशान थे। उसने उन वस्त्रों को सील किया और उसका बरामदगी फ़र्द प्रदर्श क-4 के रूप में तैयार किया। झब्बू सिंह को आरक्षी भगवान सिंह के साथ चिकित्सीय परीक्षण हेतु सिद्धपुरा जिला चिकित्सालय भेजा गया, जो सांझ को लौटा और बताया कि घायल को वहां से एटा चिकित्सालय रेफर किया गया था और उसे घायल के साथ बस से जाना था, तथापि, घायल के साथी शीघ्र बस में सवार होकर एटा की ओर चल पड़े, जिसके परिणामस्वरूप वह उनके साथ नहीं जा सका।

10. पी.डबल्यू.3, उप निरीक्षक बीरेंद्र प्रताप सिंह, वाद का विवेचना अधिकारी है। उसने अपने द्वारा की गई विवेचना के बारे में कथन किया है और साक्ष्य दिया है कि वाद उसकी उपस्थिति में दर्ज कराया गया था। उसने साक्षियों के कथन अभिलिखित किए और घटनास्थल का निरीक्षण किया, और तत्पश्चात उसका स्थल का नक्शा-नज़री (प्रदर्श क-7) तैयार किया। उसने घटनास्थल से बरामद दो छूटे हुए कारतूसों का बरामदगी फ़र्द भी तैयार किया और उसे प्रदर्श क-8 के रूप में सिद्ध किया। झब्बू सिंह जिला चिकित्सालय, एटा में भर्ती रहा। दिनांक 22.07.1982 को, उसने जिला चिकित्सालय में उसका कथन अभिलिखित किया, तत्पश्चात, उसने आरोप पत्र (प्रदर्श क-9) प्रस्तुत किया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि अभियुक्त जय नारायण फरार था, अतः, उसके विरुद्ध विवेचना लंबित रखी गई। प्रति-परीक्षा में, उसने कहा कि उसे घटनास्थल से न तो कोई रक्त मिला और न ही उसे वहां कोई छर्रे मिले।

11. पी.डबल्यू.4, डॉ. वी.के. शर्मा ने दिनांक 10.07.1982 को जिला चिकित्सालय, एटा में घायल झब्बू सिंह का चिकित्सीय परीक्षण किया। उसे उसके शरीर पर निम्नलिखित चोटें मिलीं:

(i) बाएं कंधे के बाहरी भाग पर 0.25 सेमी x 0.25 सेमी आकार के प्रवेश के अनेक आग्नेयास्त्र घाव, कहीं त्वचा गहरे तथा कहीं पेशी गहरे 11 सेमी x 6 सेमी, पाए गए, दिशा बाएं से दाएं और क्षैतिज थी। रक्तस्राव विद्यमान था। कोई कालापन नहीं था।

(ii) 0.25 सेमी x 0.25 सेमी आकार के प्रवेश के अनेक आग्नेयास्त्र घाव। गहराई मापी नहीं गई। छाती के बाएं भाग के निचले हिस्से पर तथा उदर के दाहिने ऊपरी भाग पर 20 सेमी x 13 सेमी अंडाकार आकार में, कोई कालापन अथवा बारूद के निशान नहीं थे।

(iii) 4 सेमी x 7 सेमी x पेशी गहरे प्रवेश का आग्नेयास्त्र घाव। दाहिने कंधे के बाहरी भाग पर उसके चारों ओर 4 सेमी के क्षेत्र में अनेक छोटे छर्रों के आगमन के घाव, कोई कालापन नहीं था। दिशा दाएं से बाएं क्षैतिज आकार में।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(iv) कलाई से 8 सेमी ऊपर अग्रबाहु के भाग पर 3 सेमी x 3 सेमी प्रवेश का आग्नेयास्त्र घाव तथा उसके चारों ओर 3 सेमी के क्षेत्र में अनेक छोटे छर्रों के आकार। कोई कालापन नहीं, दिशा पीछे से आगे क्षैतिज।

(v) दाहिनी जांघ के निचले और बाहरी भाग पर 5 सेमी x 4 सेमी x पेशी गहरे प्रवेश का आग्नेयास्त्र घाव जबकि अन्य दाहिने घुटने के बाहरी भाग पर थे और वे एक-दूसरे से 3 सेमी की दूरी पर थे तथा कोई कालापन नहीं था। दिशा नीचे से ऊपर मध्य अथवा दोनों की ओर थी।

12. चिकित्सक के मत में सभी चोटें ताजा थीं और आग्नेयास्त्र द्वारा कारित थीं, जिन्हें अवलोकन में रखा गया। साक्षी ने क्षति आख्या को प्रदर्श क-10 के रूप में सिद्ध किया और कहा कि उसने बाएं कंधे, छाती के दाहिने भाग, उदर, दाहिने अग्रबाहु, दाहिनी जांघ और दाहिने घुटने के एक्स-रे की सलाह दी थी। प्रति-परीक्षा में, उसने कहा कि एक्स-रे रिपोर्ट (प्रदर्श क-11) के अनुसार, छाती और उदर पर रेडियो अपारदर्शी छाया पाई गई। अग्रबाहु से चार बड़े छर्रे तथा पीठ से दो छर्रे निकाले गए और एक पैकेट में सील किए गए, जिसे साक्षी ने प्रदर्श-4 के रूप में सिद्ध किया। उसने कहा कि चोट संख्या 2 प्रकृति में घोर तथा जीवन के लिए खतरनाक थी और चोटों की प्रकृति दर्शाती है कि आशय घायल की हत्या करने का था। गोली चार फुट से अधिक की दूरी से चलाई गई थी और छर्रों का फैलाव था। क्षैतिज दिशा तब घटित होती है जब आग्नेयास्त्र का बिंदु और वह स्थान जहां चोटें कारित हुईं, समान स्तर पर हों।

13. पी.डबल्यू.5, डॉ. दया शंकर, रेडियोलॉजिस्ट है, जिसने घायल झब्बू सिंह का एक्स-रे किया और उसकी एक्स-रे रिपोर्ट (प्रदर्श क-11) तैयार की। उसने कहा कि घायल दिनांक 10.07.1982 से 23.07.1982 तक चिकित्सालय में भर्ती रहा। चोटें जीवन के लिए खतरनाक थीं और समय पर उपचार के कारण उसका जीवन बचाया गया।

14. पी.डबल्यू.6, झब्बू सिंह, घायल साक्षी है। उसने अभियोजन के वाद का समर्थन किया है और कहा है कि घटना के समय, जैसे ही वह चंदू के खेत की उत्तरी सीमा पर शौच हेतु बैठा, सभी अपीलार्थी बंदूकों और तमंचों से सुसज्जित होकर वहां आए और उसे मार डालने के लिए उकसाया तथा तत्पश्चात, उस पर गोली चलानी शुरू कर दी, जिस पर वह स्वयं को बचाने हेतु भागा। कप्तान सिंह और अन्य भी वहां उपस्थित थे, जो शौच हेतु वहां आए थे और उन्होंने घटना देखी। उसे अपनी छाती, कंधे और उदर पर आग्नेयास्त्र की चोटें आईं। उसे एक वाहन में थाने और वहां

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



से चिकित्सालय ले जाया गया। उसने आगे साक्ष्य दिया कि चिकित्सक ने उसे एटा जिला चिकित्सालय रेफर किया। वह सत्रह दिनों तक चिकित्सालय में भर्ती रहा। उसका एक्स-रे किया गया और उसके शरीर से छर्ने निकाले गए। उसने साक्ष्य दिया कि नत्थू सिंह संबंध से उसके दादा हैं। चिकित्सालय से, नत्थू सिंह उसे अपने घर ले गए।

15. पी.डबल्यू.7, शेर सिंह, घटना का एक प्रत्यक्षदर्शी साक्षी है। उसने भी अभियोजन के वाद का समर्थन किया है और कथन किया है कि घटना के समय, जब वह अन्य लोगों के साथ शौच हेतु गया था, वहां उसने चीखें सुनीं, और तत्पश्चात, उसने झब्बू सिंह, कप्तान सिंह और अपीलार्थीगण को देखा। अपीलार्थीगण बंदूकें और तमंचे लिए हुए थे और वे झब्बू सिंह पर गोली चला रहे थे, जिसे चोटें आईं। उसने साक्ष्य दिया कि वह अपीलार्थीगण को घटना से पूर्व से जानता था, क्योंकि वे उसके ससुराल के निवासी थे।

16. अभियोजन साक्ष्य के समापन के पश्चात, अभियुक्तगण के कथन धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभिलिखित किए गए, जिसमें, उन्होंने अभियोजन के वाद से इनकार किया और कथन किया कि शत्रुता और ग्राम राजनीति के कारण, साक्षियों ने उनके विरुद्ध गवाही दी है। अभियुक्तगण ने अपने बचाव में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया।

17. दोनों पक्षों के तर्क सुनने और अभिलेख का अवलोकन करने पर, विचारण न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि अभियोजन अपना वाद युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है और इस प्रकार, अभियुक्तगण को धारा 148, 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया और उपर्युक्त इंगित अवधि से दंडादिष्ट किया गया।

18. जीवित अपीलार्थी संख्या 5, राम पाल सिंह की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री इंद्र कुमार सिंह की ओर से ब्रीफ धारक अधिवक्ता श्री वीरेंद्र प्रताप सिंह, तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता श्री अखिलेश कुमार मिश्रा को सुना गया।

19. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन का वाद युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध नहीं हुआ है। यह आगे प्रस्तुत किया गया कि घायल और अन्य साक्षियों के कथन में सारवान विरोधाभास हैं। यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्रत्यक्षदर्शी गवाही का चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन नहीं होता। घटना के विषम समय और स्थान पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की उपस्थिति अत्यंत संदिग्ध है और शत्रुता तथा ग्राम राजनीति के कारण, साक्षियों ने अपीलार्थीगण के विरुद्ध गवाही दी है। यह भी तर्क दिया गया कि अपीलार्थीगण का अपराध कारित करने का कोई हेतुक

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नहीं था, अतः, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य का सम्यक् मूल्यांकन नहीं किया है और इस प्रकार, आक्षेपित निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है।

20. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन का वाद युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध हो चुका है। वाद प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है, जहां घायल और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों ने अभियोजन के वाद का समर्थन किया है। प्रत्यक्षदर्शी गवाहों और घायल की गवाही संगत, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। इसमें कोई बड़े विरोधाभास नहीं हैं। प्रत्यक्षदर्शी गवाही का चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन होता है। शत्रुता के कारण, अपराध कारित किया गया, अतः, विचारण न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण को सम्यक् रूप से दोषसिद्ध और दंडादिष्ट किया गया है और इस प्रकार, इस अपील में कोई बल नहीं है और यह खारिज किए जाने योग्य है।

21. यह सुस्थापित विधि है कि अभियोजन को अपना वाद युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करना होता है। दोनों पक्षों के निवेदनों को दृष्टिगत रखते हुए और अभिलेख का अवलोकन करने पर, यह देखा जाना है कि क्या अभियोजन अपना वाद युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है। अभियोजन के अनुसार, घटना दिनांक 10.07.1982 को प्रातः 05:30 बजे घटित हुई। एफ.आई.आर. उसी दिन, अर्थात् 10.07.1982 को प्रातः 06:30 बजे दर्ज कराई गई। चिक एफ.आई.आर. के अवलोकन से प्रकट होता है कि घटनास्थल से थाने की दूरी तीन किलोमीटर है और इस प्रकार, एफ.आई.आर. घटना के एक घंटे के भीतर दर्ज कराई गई, अतः, एफ.आई.आर. दर्ज कराने में कोई विलंब नहीं है। अपीलार्थीगण एफ.आई.आर. में नामित हैं और अभियोजन का वाद यह है कि सभी अपीलार्थीगण ने, अपने सामान्य उद्देश्य की अग्रता में, एक विधिविरुद्ध जमाव के सदस्य होते हुए, आग्नेयास्त्र लेकर घटनास्थल पर पहुंचे, घायल झब्बू सिंह को उकसाया और उसे मार डालने के आशय से उस पर गोली चलाई। झब्बू सिंह ने शोर मचाया जिस पर, प्रथम सूचनाकर्ता और अन्य वहां पहुंचे और अपीलार्थीगण घटनास्थल से भाग गए। झब्बू सिंह को घटना में उसके कंधे और शरीर के अन्य भागों पर अनेक घोर चोटें आईं, और तत्पश्चात उसे एक वाहन में थाने ले जाया गया, जहां एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई।

22. अभियोजन ने अपना वाद सिद्ध करने हेतु पी.डबल्यू.1 कप्तान सिंह, पी.डबल्यू.6 झब्बू सिंह और पी.डबल्यू.7 शेर सिंह की परीक्षा की। ये तीनों तथ्य के साक्षी हैं और उन्होंने अभियोजन के वाद का समर्थन किया है। उनकी गवाही संगत, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। उनके कथनों में कोई सारवान विरोधाभास नहीं हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



23. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि घटनास्थल पर प्रत्यक्षदर्शी गवाहों की उपस्थिति अत्यंत संदिग्ध है। मैं अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन से सहमत नहीं हूं। पी.डबल्यू.1 कप्तान सिंह के कथन में यह आया है कि वह झब्बू सिंह के साथ, गांव के पश्चिम की ओर काली नदी के निकट शौच हेतु गया था। वे कुछ दूरी पर शौच हेतु बैठे, जब अभियुक्त रघुराज, मोहर पाल और जय नारायण बंदूकें लिए तथा शेष तमंचे लिए हुए घटनास्थल पर पहुंचे। उसने कथन किया है कि घटना के समय, शेर सिंह, भंवर सिंह, नेत्रपाल और विश्वनाथ भी आए, जो निकटवर्ती स्थानों पर शौच हेतु उपस्थित थे और उन्होंने घटना देखी। घटना के समय, अपीलार्थी रघुराज सिंह ने उकसाया, जिस पर सभी सह-अपीलार्थीगण ने झब्बू सिंह पर गोली चलाई। उसने कथन किया है कि वह स्वयं, शेर सिंह, भंवर सिंह, नेत्रपाल और विश्वनाथ वहां पहुंचे और घटना देखी। पी.डबल्यू.1 की विस्तार से प्रति-परीक्षा की गई है, तथापि, घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर कोई संदेह उत्पन्न करने हेतु उसकी गवाही से कुछ भी सारवान उद्भूत नहीं हुआ है। यद्यपि ग्राम प्रधान का चुनाव हुआ था जिसमें प्रथम सूचनाकर्ता के भाई नत्थू सिंह और अपीलार्थी राम पाल ने प्रतिस्पर्धा की थी, किंतु यह चुनाव घटना से बहुत पूर्व हुआ था। अतः इसका घटना से कोई सुसंगतता नहीं है।

24. पी.डबल्यू.1 ने साक्ष्य दिया है कि उसने गोली के नव राउंड सुने, जिस पर वह घटनास्थल की ओर दौड़ा। उसने झब्बू सिंह को स्वयं को बचाने हेतु इधर-उधर भागते देखा, जो अपीलार्थीगण द्वारा तीन दिशाओं से घिरा हुआ था। इस बिंदु पर, अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उपर्युक्त गवाही विश्वसनीय नहीं है, और यदि अपीलार्थीगण ने झब्बू सिंह को तीन दिशाओं से घेरा होता, तो कुछ गोलियां अपीलार्थीगण को भी लग सकती थीं।

25. मैं अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन से सहमत नहीं हूं। घटना जिस रीति में घटित हुई तथा जिस रीति में घायल घिरा हुआ था और इधर-उधर भागा, और दूरी तथा उस दिशा के संबंध में विनिर्दिष्ट साक्ष्य के अभाव में जिससे वह घिरा हुआ था, यह विश्वास करना कठिन है कि अपीलार्थीगण ने घायल पर इस प्रकार आक्रमण किया कि इससे अपीलार्थीगण को भी चोटें आ सकती थीं। इस प्रकार, केवल ऐसे कथन के आधार पर, पी.डबल्यू.1 की संपूर्ण गवाही को अस्वीकार नहीं किया जा सकता।



26. अपीलार्थीगण की ओर से यह तर्क दिया गया है कि घायल पर लगभग प्रातः 03:00-04:00 बजे किन्हीं अज्ञात व्यक्तियों द्वारा, किसी अन्य स्थान पर आक्रमण किया गया होगा, तथापि, ग्राम राजनीति के कारण अपीलार्थीगण को मिथ्या रूप से एफ.आई.आर. में नामित किया गया है।

27. मैं अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता के इस निवेदन से सहमत नहीं हूँ। इस संबंध में अपीलार्थीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। एफ.आई.आर. शीघ्रता से दर्ज कराई गई है और अपीलार्थीगण एफ.आई.आर. में नामित हैं। घायल की स्वयं परीक्षा की गई है और उसने अभियोजन के वाद का समर्थन किया है। उसके कथन में कोई सारवान विरोधाभास नहीं हैं। यह विश्वास करना अत्यंत कठिन है कि इस प्रकार की घटना के संबंध में, कोई व्यक्ति वास्तविक अपराधी को बख्श कर शत्रुता के कारण किसी अन्य व्यक्ति को फंसाएगा। घटनास्थल भी स्थापित है। तथ्य के साक्षियों ने वही स्थान कथन किया है, जहां घटना घटित हुई। विवेचना अधिकारी ने घटनास्थल से दो खाली कारतूस भी बरामद किए हैं और उसका बरामदगी फ़र्द तैयार किया है। घायल के रक्त-रंजित वस्त्र भी कब्जे में लिए गए थे। पी.डबल्यू.6, झब्बू सिंह, घायल ने अभियोजन के वाद का समर्थन किया है। उसने साक्ष्य दिया है कि यद्यपि उसे एक हत्या के वाद में दोषसिद्ध किया गया था, तथापि, उसे उच्च न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया गया है। चोरी के एक वाद में, उसने सात माह का कारावास भुगता है। पूर्व में, उसके विरुद्ध डकैती का एक वाद दर्ज किया गया था जिसमें, वह दोषमुक्त हुआ और धारा 207 दं.प्र.सं. के अंतर्गत एक वाद था, जो उसके विरुद्ध लंबित था। चूंकि वाद प्रत्यक्ष साक्ष्य पर आधारित है, अतः, वर्तमान वाद में हेतुक अधिक महत्वपूर्ण नहीं है।

28. उपर्युक्त कथन के आधार पर, अपीलार्थीगण की ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि घायल का आपराधिक इतिहास था, अतः, हो सकता है कि उस पर किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किसी अज्ञात स्थान पर आक्रमण किया गया हो।

29. मैं उपर्युक्त निवेदन से सहमत होने में असमर्थ हूँ, क्योंकि अभिकथित घटना के संबंध में अभियोजन साक्ष्य संगत, विश्वसनीय और भरोसेमंद है। घायल झब्बू सिंह ने कथन किया है कि जैसे ही वह शौच हेतु बैठा, अपीलार्थीगण वहां आए और उकसाया, जिस पर, वह खड़ा हुआ और भागने का प्रयास किया, तब अपीलार्थीगण ने उस पर गोली चलाई। घटना जिस रीति में घटित हुई वह दर्शाती है कि घायल ने स्वयं को बचाने हेतु इधर-उधर भागने का प्रयास किया, अतः, कोई निश्चित स्थान नहीं है जिससे अपीलार्थीगण ने घायल पर गोली चलाई। अभियोजन के वाद के

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



अनुसार, घायल पर गोली चलाई गई और उसे आग्नेयास्त्र की चोटें आईं और प्रत्यक्षदर्शी गवाहों के साथ-साथ घायल ने स्वयं कथन किया है कि चोटें बंदूक की गोली से कारित हुई थीं। घायल का चिकित्सीय परीक्षण किया गया और उसका एक्स-रे भी किया गया। क्षति आख्या और अनुपूरक रिपोर्ट के अवलोकन से प्रकट होता है कि उसे उसके शरीर के पांच स्थानों पर आग्नेयास्त्र के आगमन के घाव आए और एक्स-रे में रेडियो अपारदर्शी छाया देखी गई। अतः, प्रत्यक्षदर्शी गवाही का चिकित्सीय साक्ष्य से समर्थन होता है कि घायल को आग्नेयास्त्र की चोटें आईं। चिकित्सक ने कथन किया है कि चोट संख्या 2 प्रकृति में घोर थी और आग्नेयास्त्र के आगमन के घाव के चारों ओर कोई कालापन नहीं पाया गया। उपर्युक्त के दृष्टिगत, घायल पर चार फुट से अधिक की दूरी से गोली चलाई गई थी, जो प्रत्यक्षदर्शी गवाही की भी संपुष्टि करता है।

30. उपर्युक्त निवेदन के दृष्टिगत, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचती हूं कि अभियोजन अपना वाद युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सक्षम रहा है और यह सिद्ध है कि दिनांक 10.07.1982 को लगभग प्रातः 05:30 बजे, अपीलार्थीगण ने एक विधिविरुद्ध जमाव गठित किया और घातक हथियारों से सुसज्जित होकर बलवा कारित किया, और अपने सामान्य उद्देश्य की अग्रता में झब्बू सिंह पर उसे मार डालने के आशय से गोली चलाई। अतः, विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर साक्ष्य का सम्यक् मूल्यांकन किया है और अपीलार्थी राम पाल सिंह को धारा 148 और 307 भा.द.सं. के अंतर्गत सम्यक् रूप से दोषसिद्ध किया गया है।

31. जहां तक दंडादेश के प्रश्न का संबंध है, घटना वर्ष 1982 की है, अर्थात्, लगभग 44 वर्ष पूर्व, और वर्तमान अपील वर्ष 1982 से, अर्थात्, लगभग 44 वर्षों से लंबित है। अपीलार्थी संख्या 5 के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी वर्तमान में 72 वर्ष से अधिक आयु का है और अब अत्यंत वृद्ध तथा दुर्बल है। अतः, अपीलार्थी संख्या 5 को अधिरोपित दंडादेश में कमी हेतु प्रार्थना की गई है।

32. उपर्युक्त सभी तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ अपीलार्थी राम पाल सिंह की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए, और इस तथ्य को भी कि घटना वर्ष 1982 में घटित हुई थी, अपील लगभग 44 वर्षों से लंबित है और अपीलार्थी 72 वर्ष से अधिक आयु का है, मेरा यह मत है कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित अपीलार्थी संख्या 5 को अधिरोपित दंडादेश में उपांतरण किया जाना अपेक्षित है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



33. तदनुसार, यह अपील **आंशिक रूप से स्वीकार** की जाती है। अपीलार्थी संख्या 5 राम पाल सिंह को धारा 148, 307 भा.द.सं. के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषी पाया जाता है। जहां विचारण न्यायालय द्वारा उसकी दोषसिद्धि को **बरकरार** रखा जाता है, और अपीलार्थी को धारा 148 भा.द.सं. के अंतर्गत अधिरोपित दंडादेश में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाता है, वहीं धारा 307 भा.द.सं. के अंतर्गत अधिरोपित दंडादेश को सात वर्ष के कठोर कारावास से घटाकर चार वर्ष के कठोर कारावास तक एतद्वारा घटाया जाता है। दोनों दंडादेश समवर्ती रूप से चलेंगे।

34. अपीलार्थी राम पाल सिंह के जमानतनामे और व्यक्तिगत बंधपत्र रद्द किए जाते हैं और प्रतिभू उन्मुक्त किए जाते हैं। उसे निर्देशित किया जाता है कि वह अपने दंडादेश के शेष भाग को भुगतने हेतु आज से तीन सप्ताह के भीतर विचारण न्यायालय के समक्ष **आत्मसमर्पण** करे, ऐसा न करने पर, विचारण न्यायालय को उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु प्रवर्तनकारी उपाय अपनाने का निर्देश दिया जाता है।

35. सूचना और आवश्यक अनुपालन हेतु, विचारण न्यायालय के अभिलेख सहित इस आदेश की एक प्रति संबंधित विचारण न्यायालय को अग्रेषित की जाए।

(न्यायमूर्ति संजीव कुमार)

14 अगस्त, 2026

शुभम